डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 व 7)
( Civil Procedure Code Appendix "D")

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत, (RAS)
पत्रावली संख्या. 162/2025
किस्म :– वाद–पत्र
दायर दिनांक : 15.12.2025
निर्णय दिनांक : 03.02.2026

अनवान

1.राजेश कुमार पिता लालचन्द जी जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुंझनु (राज.)
2. श्रीमति हर्षिनी कुल्हरी पत्नि अतुल कुमार जी जाति जाट उम्र 37 वर्ष निवासी 101 पिंक सिटी रेजीडेन्सी ऑफिसर्स केम्पस, सिरसी रोड, वैशाली नगर जयपुर जिला जयपुर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1.माधु पिता बद्रीलाल जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
2.शम्भुलाल पिता बद्रीलाल जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
3.हिरा बाई पत्नि बद्रीलाल जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
4.राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमंद।

–प्रतिवादीगण

### वादः बाबत् घोषणा, विभाजन एवं निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी श्री राकेश सनाढ्य, अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री मदनलाल सालवी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोटडी तहसील रेलमगरा के आराजी संख्या 1967, 1967/2, 1967/3, 1966 व 1966/1 कुल किता 5 कुल रकबा 01.13 बिघा में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कमांक – 201703485100687 दिनांक 18.09.2017 के अनुसार क्रय हिस्से की श्रीमती हर्षिनी कुल्हरी पत्नी श्री अतुलकुमार जी जाति जाट निवासी वैशाली नगर, जयपुर को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा विक्रेता श्री राजेश कुमार पिता लालचंद जाति जाट निवासी पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुझनु को खातेदार घोषित किया जाता है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2014 व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कमांक – 201703485100687 दिनांक 18.09.2017 का जांच करते हुए क्रेता एवं विक्रेता के हिस्सोनुसार का नामान्तरण पारित करे। जिसमें नामातंरण संख्या 1680 दिनांक 14.03. 2014 के विभाजन अनुसार खातेदारो के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावें। तदनानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद् हो। तद्नुसार तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पालना की जावें।

नीज – ..... – .... मुबलिज – ..... – .... बाबत् – ..... – .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर – ..... – .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक – ..... – .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.02.2026 को जारी की गई।

(बिन्दु बाला राजावत, RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

| मुदई | रूपया पैसा | मुदयलह | रूपया पैसा |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| स्टाम्प अजीनामा | स्टाम्प वकालतनामा |
| स्टाम्प वकालतनामा | स्टाम्प हाजरी |
| स्टाम्प वजह सबूत | मेहनताना वकील पर |
| मेहनताना वकील | खर्चा गवाहान् |
| खर्चा गवाहान् | फीस कमिश्नर |
| फीस कमिश्नर | बाबत् इजराय हुक्मनामा |
| मुतफरिक | मिलान |

नोट – इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फेरिकेन का चाहे किसी के जरिये वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जाएगा।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 162/2025
किस्म :– वाद–पत्र
दायर दिनांक : 15.12.2025

अनवान

1.राजेश कुमार पिता लालचन्द जी जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुंझनु (राज.)
2. श्रीमति हर्षिनी कुल्हरी पत्नि अतुल कुमार जी जाति जाट उम्र 37 वर्ष निवासी 101 पिंक सिटी रेजीडेन्सी ऑफिसर्स केम्पस, सिरसी रोड, वैशाली नगर जयपुर जिला जयपुर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1.माधु पिता बद्रीलाल जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
2.शम्भुलाल पिता बद्रीलाल जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
3.हिरा बाई पत्नि बद्रीलाल जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
4.राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमंद।

–प्रतिवादीगण

## वादः बाबत् स्वत्व घोषणा, विभाजन एवं निशेधाज्ञा

उपस्थिति –1. श्री राकेश सनाढ्य, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री मदनलाल सालवी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1।

निर्णय

दिनांक 03.02.2026

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा में वादपत्र की **प्रतिवादी सं. 1 एक से लगायत 3 तीन व उनके भाई गणेश व बद्रीलाल के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि आराजीयात् मौजा कोटड़ी में स्थित थी। जो निम्न प्रकार है -**

| आराजी नम्बर | रकबा |
|---|---|
| 1334 | 1.1400 |
| 1335 | 0.0600 |
| 1336 | 0.0600 |
| 1337 | 1.1100 |
| 1344 | 2.1800 |
| 1906 | 3.0000 |
| 1907 | 0.0700 |
| 1908 | 2.1000 |
| 1911 | 3.0500 |
| 1918 | 2.1500 |
| 1966 | 0.0600 |
| 1967 | 1.1300 |
| 1968 | 1.0700 |
| 2417/1337 | 0.1400 |
| 1476/1344 | 0.0600 |

**कुल किता 16 कुल रकबा 24-12 बिघा**

**उपरोक्त आराजीयात् में से आराजी संख्या 1966 1967 1968 कुल किता 3 तीन कुल रकबा 3.06 तीन बिघा छः बिस्वा में से प्रतिवादी सं. एक तथा उसके भाई गणेश पिता बद्रीलाल ने अपना 1/2 हिस्सा वादी सं. 1 एक को 1/4 हिस्सा तथा अर्पित माथुर पिता विनय कुमार माथुर निवासी रजतपथ मानसरोवर जयपुर को 1/8 हिस्सा तथा अक्षत माथुर पिता संजय कुमार माथुर निवासी संतोष नगर जेके पेट्रोल पम्प के सामने**

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with OKEN Scanner

गोपालपुरा बाईपास जयपुर 1/8 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी। तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये नामान्तरकरण संख्या 1679 से उपरोक्त आराजीयात् में वादी संख्या एक तथा अर्पित माथुर व अक्षत माथुर का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया। नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाण स्वरूप साथ संलग्न है। उसके पश्चात् उपरोक्त कृषि आराजीयात् का आपसी विभाजन जरिये नामान्तरकरण संख्या 1680 दिनांक 14.03.2014 को प्रतिवादी संख्या दो व तीन तथा वादी संख्या एक व अक्षत व अर्पित के मध्य हो चुका था। जिसमें प्रतिवादी सं. दो व तीन को संयुक्त रूपेण आराजी संख्या 1967/1 रकबा 0.06 छः बिस्वा आराजी संख्या 1968 रकबा 1.07 कुल किता दो कुल रकबा 1.13 एक बिघा तेरह बिस्वा प्राप्त हुई। तथा वादी संख्या एक व अर्पित माथुर व अक्षय माथुर को संयुक्त रूपेण आराजी संख्या 1966 रकबा 0.06 छः बिस्वा 1967 रकबा 1.07 एक बिघा सात बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 1.13 एक बिघा तेरह बिस्वा प्राप्त हुई। विभाजन पश्चात् आराजी संख्या 1966 रकबा 0.06 छः बिस्वा व आराजी संख्या 1967 रकबा 1.07 एक बिघा सात बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 1.13 एक बिघा तेरह बिस्वा का वादी सं. एक व अर्पित माथुर व अक्षत माथुर ने अपनी उक्त भूमि का कृषि से उद्योग प्रयोजनार्थ रूपान्तरण जरिये नामान्तरकरण संख्या 1966 दिनांक 25.04.2014 को करवाया गया। जिसमें से आराजी संख्या 1967 रकबा 1.07 एक बिघा सात बिस्वा में आराजी नम्बर 1967/2 रकबा 1.00 एक बिघा किस्म उद्योग व आराजी संख्या 1967 रकबा 0.04 चार बिस्वा बारानी तथा आराजी नम्बर 1967/3 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बारानी व आराजी सं 1966/1 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म उद्योग आराजी सं 1966 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बीड़ संपरिवर्तन करवाई गई। नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 की प्रमाणित नकल साथ संलग्न है। वादी संख्या एक व अर्पित माथुर पिता विनय कुमार माथुर तथा अक्षत माथुर पिता संजय कुमार माथुर ने आराजी संख्या 1966 रकबा 0.06 छः बिस्वा व आराजी संख्या 1967 रकबा 1.07 एक बिघा सात बिस्वा जो रूपान्तरण पश्चात् आराजी संख्या 1967 रकबा 0.04 चार बिस्वा किस्म बारानी आराजी सं. 1967/2 रकबा 1.00 एक बिघा किस्म उद्योग आराजी सं. 1967/3 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बारानीए आराजी सं. 1966 रकबा 0.03 तीन...बिस्वा किस्म बीड़ आराजी सं. 1966/1 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म उद्योग कुल किता 5 पांच कुल रकबा 1.13 एक बिघा तेरह बिस्वा भूमि में से वादी सं. 1 एक ने अपने 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात् कुलिया क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा तथा वादी सं. 1 एक के भागीदार अर्पित माथुर पिता विनय कुमार माथुर व अक्षत माथुर व संजय कुमार माथुर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा यानि 1/4 . 1/4 हिस्सा वादी सं. दो को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 18.09.2017 को विक्रय कर दी गई थी। परन्तु अभी तक उक्त भूमि वादी सं. दो के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित नही हुई। जिस कारण वादीगण को मजबूर होकर मौजा कोटडी की वादग्रस्त आराजी सं. 1966 रकबा 0.06 छः बिस्वा 1967 रकबा 1.07 एक बिघा सात बिस्वा जो नामान्तरकरण संख्या 1687 दिनांक 25.04.2014 के भूमि रूपान्तरण के पश्चात् निम्न आराजीयात् बनी आराजी संख्या 1967 रकबा 0.04 चार बिस्वा किस्म बारानी आराजी सं. 1967/2 रकबा 1.00 एक बिघा किस्म उद्योग आराजी सं. 1967/3 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बारानी आराजी सं. 1966 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बीड़ आराजी सं. 1966/1 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म उद्योग कुल किता 5 पांच कुल रकबा 1.13 एक बिघा तेरह बिस्वा भूमि में वादीगण अपना नाम की घोषणा कराकर विधिवत् विभाजन कराने के कानूनन अधिकारी होने से यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यवाही वादीगण के द्वारा सम्पादित करवाने के पश्चात् प्रतिवादीगण सं. 1 एक के मन में बद्वयान्ति उत्पन्न हो जाने से उसने अपनी सगी बहन पारस पुत्री बद्रीलाल पत्नि मांगीलाल जी गाडरी निवासी कोटडी हाल निवासी धनेरिया तहसील मावली द्वारा जो कि प्रतिवादी सं. 1 एक से लगायत 3 तीन की सगी बहन होकर स्व. बद्रीलाल जी की जाईन्दा पुत्री थी की ओर से एक नामान्तरकरण की अपील प्रतिवादीगण सं. 1 एक से लगायत दो के पिता व तीन के पति बद्रीलाल जी की मृत्यु पश्चात् विरासत से ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 11.01.1990 की एक नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रेलमगरा में दिनांक 09.01.2017 को प्रस्तुत करवा दी गई। जिसकी कोई जानकारी वादीगण को नहीं होने दी गई तथा उनके खिलाफ उक्त अपील एक तरफा करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार महोदय रेलमगरा को रिमाण्ड कर दी गई। तथा यह निर्देश दिया गया कि बद्रीलाल जी के वारिसान की विधिवत् जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाये। तथा इसी दरमियान प्रतिवादी सं. एक व दो का भाई गणेशलाल लाऔलाद फौत हो चुका था जिस कारण उसका सारा हिस्सा दिगर शेष भाईयों में व उक्त पारस में आ चुका था तथा वादीगण द्वारा जो लाखो रूपये खर्च कर भूमि को क्रय की गई तथा भूमि को रूपांतरण के संबंध में खर्चा किया गया वह सारा धुमिल व बेकार हो गया। तथा भूमि जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण ने क्रय की थी वह भूमि व हिस्सा वादीगण के नाम पर अंकित होना चाहिये था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1एक ने उक्त

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

Scanned with OKEN Scanner

कृषि आराजीयात पुनः प्रतिवादीगण संख्या एक दो व तीन व पारस के नाम पर अंकित करवा दी गई जिसकी कोई जानकारी वादीगण को नहीं होने दी गई तथा उसके पश्चात् प्रतिवादी सं. 1एक के द्वारा चालाकी पूर्वक उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजीयात का हकत्याग विलेख अपनी बहन पारस से अपने पक्ष में करवा लिया गया। तथा वर्तमान में उपरोक्त कृषि आराजीयात प्रतिवादी संख्या एक दो तीन के नाम पर अंकित चली आ रही है जो कि गलत रूपेण अंकित चली आ रही है जिसके लिए वादीगण उक्त वादपत्र की पैरा सं. पांच में वर्णित कृषि आराजीयात के संबंध में अपने नाम की घोषणा कराने के अधिकारी होने से वादीगण द्वारा यह घोषणा का वाद न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण ने बदनीयति पूर्वक धन के वशीभूत वादीगण के साथ छल कपट कर इस प्रकार का कृत्य कर वादीगण का नाम गलत रूपेण राजस्व रिकार्ड से हटाया गया है जिस कारण वादीगण वादपत्र की पैरा सं. 5पांच में वर्णित कृषि आराजीयात में अपने नाम की घोषणा कराकर उक्त आराजीयात का जो विभाजन पूर्व में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1680 दिनांक 14.03.2014 के जरिये हुआ है उसी अनुरूप वादीगण विभाजन की प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री अपने नाम प्रचलित फरमाये जाने के कानूनन अधिकारी होने से यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। खातेदार गणेश पिता बद्रीलाल द्वारा भी वादपत्र की कलम सं. 5 पांच में वर्णित कृषि आराजीयात् का प्रतिवादी सं. 1 एक के साथ वादीगण को विक्रय कर दिया गया था तथा गणेश पिता बद्रीलाल लाऔलाद फौत हो गया था तथा उसकी विक्रय की प्रतिफल राशि सारी प्रतिवादी सं. 1 एक के द्वारा प्राप्त की गई थी जिस कारण प्रतिवादी सं. 1 एक व गणेश का सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से कानूनन दर्ज होना चाहिये था जो नही होने से वादीगण द्वारा सह घोषणा का वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण को उक्त बात की जानकारी नही थी तथा अभी जैसे ही राजस्व रिकार्ड की ऋण प्राप्त करने हेतु नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई तथा वादीगण को जानकारी हुई कि वादपत्र की पैरा सं. 5 पांच में वर्णित कृषि आराजीयात् में वादीगण का नाम ही अंकित नही है तथा उपरोक्त कृषि आराजीयात् प्रतिवादीगण संख्या 1 एक से लगायत 3 तीन के नाम पर अंकित है। उन्होंने उक्त भूमि वादीगण के नाम पर पुनः कराने हेतु टालमटुल जवाबदेही की गई तथा आज से 15 दिवस पूर्व उनके द्वारा भूमि वादीगण के नाम पर अंकित कराने से मना कर दिया। तब वादीगण को विवश होकर सम्पूर्ण नकले निकलवाई गई तथा जानकारी होते ही तुरन्त वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद हेतुक आज से 15 दिवस पूर्व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी सं. 4 चार भूमिधारी होने से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अन्यथा उनसे किसी प्रकार की दाद नही चाही जा रही है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 दो व 3 तीन उक्त भूमि के सहखातेदार है तथा उनकी रजामंदी से नामान्तरकरण संख्या 1680 दिनांक 14.03.2014 को विभाजन हुआ था उसी अनुरूप विभाजन की प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री प्रचलित फरमाई जाने हेतु उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनसे किसी प्रकार की कोई दाद नही चाही जा रही है। वादग्रस्त जायदाद का मुल्यांकन 500000 रूपये कायम किया जाकर निश्चित न्यायशुल्क 5 रूपये पर अन्दर अवधि प्रस्तुत है। उक्त आराजीयात् कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित होने से न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रकरण की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री मदनलाल सालवी ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के विरूद्व दिनांक 22.01.2026 को न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। एवं प्रतिवादी द्वारा इकबालिया जवाब पेश करने से वाद में कायमी तनकीयात् की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी सं. एक की ओर से वादपत्र का जवाब निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है- वादपत्र की कलम सं. एक का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम सं. दो का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम सं. 3तीन का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम सं. चार का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम सं. पांच का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम सं. छः के विवरण में प्रतिवादी सं. 1एक के मन में कोई बदँयान्ति उत्पन्न नही हुई। प्रतिवादी की बहन पारस द्वारा अपील जरूर प्रस्तुत की गई तथा अपील पश्चात् भूमियां पुनः प्रतिवादीगण सं. 1एक से लगायत 3तीन व पारस को प्राप्त हुई थी क्योंकि प्रतिवादी सं. एक का भाई गणेश की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण इसका हिस्सा प्रतिवादी सं. एक से लगायत 3तीन व पारस को प्राप्त हुआ था व पारस ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा मुझ प्रतिवादी सं. एक को जरिये रिलीज डीड के हस्तान्तरित कर दिया गया था। तथा जो हिस्सा मुझ प्रतिवादी ने वादीगण को विक्रय किया था वह

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा मै वादीगण के नाम पर करवाने हेतु तैयार एवं तत्पर् हूँ इसमें किसी प्रकार से बदलने वाला नही हूँ। न ही मैने कोई बदँयान्ति की है। वादपत्र की कलम सं. सात में भी मुझ प्रतिवादी के मन में कोई बदँयान्ति उत्पन्न नही हुई है न ही धन या लालच के वशीभूत ऐसा कोई कृत्य किया है जो हिस्सा मुझ प्रतिवादी व मेरे भाई गणेश ने वादीगण को करवाया है वह हिस्सा वादीगण के नाम हो जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई उजर ऐतराज नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 1680 दिनांक 14.03.2014 के अनुरूप जो विभाजन हुआ है उसे मै प्रतिवादी मानने को तैयार एवं तत्पर् हूँ। तथा वादीगण के पक्ष में उक्त नामान्तरकरण के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री प्रचलित फरमाई जाति है तो मुझ प्रतिवादी सं. एक को कोई उजर ऐतराज नहीं है। वादपत्र की कलम सं. 8 आठ का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम सं. 9 नौ के विवरण में जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र की कलम सं. 10 दस सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम सं. 11 ग्यारह कानूनी होकर जांच से संबंधित है। वादपत्र की कलम सं. 12 बारह कानूनी होकर जांच से संबंधित है।शेष वादीगण की प्रार्थना है जो स्वीकार फरमाई जाती है तो मुझ प्रतिवादी सं. 1 एक को किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावें। दिनांक 22.01.2026 को वादी द्वारा साक्ष्य शपथ – पत्र मय गवाह बयान कलम बंद करवाये। वादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहता है। वादी साक्ष्य बंद की जाती है। वादी संख्या एक श्री राजेश कुमार पिता लालचन्द जी जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज.) का रहने वाला होकर निम्न लिखित बयान शपथपूर्वक निवेदन करता हूँ कि मैं शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि प्रतिवादी सं. एक से लगायत उतीन व उनके भाई गणेश व बद्रीलाल के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की की कृषि आराजीयात् मौजा कोटडी मे स्थित थी। जो निम्न प्रकार है -

| आराजी नम्बर | रकबा |
|---|---|
| 1334 | 1.1400 |
| 1335 | 0.0600 |
| 1336 | 0.0600 |
| 1337 | 1.1100 |
| 1344 | 2.1800 |
| 1906 | 3.0000 |
| 1907 | 0.0700 |
| 1908 | 2.1000 |
| 1911 | 3.0500 |
| 1918 | 2.1500 |
| 1966 | 0.0600 |
| 1967 | 1.1300 |
| 1968 | 1-0700 |
| 2417/1337 | 0-1400 |
| 1476/1344 | 0-0600 |

कुल किता 16 कुल रकबा 24.12 बिघा

मैं शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त आराजीयात् में से आराजी संख्या 1966 1967, 1968 कुल किता 3 तीन कुल रकबा 3.06 तीन बिघा छः बिस्वा में से प्रतिवादी सं एक तथा उसके भाई गणेश पिता बद्रीलाल ने अपना 1/2 हिस्सा वादी सं. 1 एक को 1/4 हिस्सा तथा अर्पित माथुर पिता विनय कुमार माथुर निवासी रजतपथ मानसरोवर जयपुर को 1/8 हिस्सा तथा अक्षत माथुर पिता संजय कुमार माथुर निवासी संतोष नगर जेके पेट्रोल पम्प के सामने गोपालपुरा बाईपास जयपुर 1/8 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी। तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये नामान्तरकरण संख्या 1679 से उपरोक्त आराजीयात् में वादी संख्या 1 एक तथा अर्पित माथुर व अक्षत माथुर का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया। नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाण स्वरूप साथ संलग्न है। उसके पश्चात् उपरोक्त कृषि आराजीयात् का आपसी विभाजन जरिये नामान्तरकरण संख्या 1680 दिनांक 14.03.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 दो व 3 तीन तथा वादी संख्या 1 एक व अक्षत व अर्पित के मध्य हो चुका था। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 दो व 3 तीन को संयुक्त रूपेण आराजी संख्या 1967/1 रकबा 0.06 छः बिस्वाए आराजी संख्या 1968 रकबा 1.07 कुल किता 2 दो कुल रकबा 1.13 एक बिघा तेरह बिस्वा प्राप्त हुई। तथा वादी संख्या 1 एक व अर्पित माथुर व अक्षय माथुर को संयुक्त रूपेण आराजी संख्या 1966 रकबा 0.06 छः बिस्वाए 1967 रकबा 1.07 एक बिघा सात बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 1.13 एक बिघा तेरह बिस्वा प्राप्त हुई। मैं शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि विभाजन पश्चात् आराजी संख्या 1966 रकबा 0.06 छः बिस्वा व आराजी संख्या 1967 रकबा 1.07 एक बिघा सात बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 1.13 एक बिघा तेरह बिस्वा का वादी सं.

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
नेलमगरा

Scanned with OKEN Scanner

एक व अर्पित माथुर व अक्षत माथुर ने अपनी उक्त भूमि का कृषि से उद्योग प्रयोजनार्थ रूपान्तरण जरिये नामान्तरकरण संख्या 1966 दिनांक 25.04.2014 को करवाया गया। जिसमें से आराजी संख्या 1967 रकबा 1.07 एक बीघा सात बिस्वा में आराजी नम्बर 1967/2 रकबा 1.00 एक बीघा किस्म उद्योग व आराजी संख्या 1967 रकबा 0.04 चार बिस्वा बारानी तथा आराजी नम्बर 1967/3 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बारानी व आराजी सं. 1966/1 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म उद्योगए आराजी सं. 1966 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बीड़ संपरिवर्तन करवाई गई। नकल जमाबंदी संवत् 2070 . 73 की प्रमाणित नकल साथ संलग्न है। मैं शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि वादी संख्या 1एक व अर्पित माथुर पिता विनय कुमार माथुर तथा अक्षत माथुर पिता संजय कुमार माथुर ने आराजी संख्या 1966 रकबा 0.06 छः बिस्वा व आराजी संख्या 1967 रकबा 1.07 एक बीघा सात बिस्वा जो रूपान्तरण पश्चात् आराजी संख्या 1967 रकबा 0.04 चार बिस्वा किस्म बारानी आराजी सं. 1967/2 रकबा 1.00 एक बीघा किस्म उद्योग आराजी सं. 1967/3 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बारानी आराजी सं. 1966 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बीड़ आराजी सं. 1966/1 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म उद्योग कुल किता पांच कुल रकबा 1.13 एक बीघा तेरह बिस्वा भूमि में से वादी सं. 1एक ने अपने 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात् कुलिया क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा तथा वादी सं. 1एक के भागीदार अर्पित माथुर पिता विनय कुमार माथुर व अक्षत माथुर व संजय कुमार माथुर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा यानि 1/4.1/4 हिस्सा वादी सं. 2दो को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 18.09.2017 को विक्रय कर दी गई थी। परन्तु अभी तक उक्त भूमि वादी सं. 2दो के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं हुई। जिस कारण वादीगण को मजबूर होकर मौजा कोटड़ी की वादग्रस्त आराजी सं. 1966 रकबा 0.06 छः बिस्वाए 1967 रकबा 1.07 एक बीघा सात बिस्वा जो नामान्तरकरण संख्या 1687 दिनांक 25.04.2014 के भूमि रूपान्तरण के पश्चात् निम्न आराजीयात् बनीए आराजी संख्या 1967 रकबा 0.04 चार बिस्वा किस्म बारानीए आराजी सं. 1967/2 रकबा 1.00 एक बीघा किस्म उद्योगए आराजी सं. 1967/3 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बारानीए आराजी सं. 1966 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म बीड़ए आराजी सं. 1966/1 रकबा 0.03 तीन बिस्वा किस्म उद्योग कुल किता 5पांच कुल रकबा 1.13 एक बीघा तेरह बिस्वा भूमि में वादीगण अपना नाम की घोषणा कराकर विधिवत् विभाजन कराने के कानूनन अधिकारी होने से यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त कार्यवाही वादीगण के द्वारा सम्पादित करवाने के पश्चात् प्रतिवादीगण सं. 1 एक के मन में बद्यान्ति उत्पन्न हो जाने से उसने अपनी सगी बहन पारस पुत्री बद्रीलाल पत्नि मांगीलाल जी गाडरी निवासी कोटडी हाल निवासी धनेरिया तहसील मावली द्वारा जो कि प्रतिवादी सं. 1 एक से लगायत 3 तीन की सगी बहन होकर स्व. बद्रीलाल जी की जाईन्दा पुत्री थी की ओर से एक नामान्तरकरण की अपील प्रतिवादीगण सं. 1 एक से लगायत 2 दो के पिता व 3 तीन के पति बद्रीलाल जी की मृत्यु पश्चात् विरासत से ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 11/01/1990 की एक नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रेलमगरा में दिनांक 09/01/2017 को प्रस्तुत करवा दी गई। जिसकी कोई जानकारी वादीगण को नही होने दी गई तथा उनके खिलाफ उक्त अपील एक तरफा करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार महोदय रेलमगरा को रिमाण्ड कर दी गई। तथा यह निर्देश दिया गया कि बद्रीलाल जी के वारिसान् की विधिवत् जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाये। तथा इसी दरम्यान प्रतिवादी सं. 1 एक व 2 दो का भाई गणेशलाल लाऔलाद फौत हो चुका था जिस कारण उसका सारा हिस्सा दिगर शेष भाईयों में व उक्त पारस में आ चुका था तथा वादीगण द्वारा जो लाखो रूपये खर्च कर भूमि को क्रय की गई तथा भूमि को रूपान्तरण के संबंध में खर्चा किया गया वह सारा धूमिल व बेकार हो गया। तथा भूमि जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण ने क्रय की थी वह भूमि व हिस्सा वादीगण के नाम पर अंकित होना चाहिये था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ने उक्त पुरी कृषि आराजीयात् पुनः प्रतिवादीगण संख्या 1 एक 2 दो व 3 तीन व पारस के नाम पर अंकित करवा दी गई जिसकी कोई जानकारी वादीगण को नही होने दी गई तथा उसके पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 एक के द्वारा चालाकी पूर्वक उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजीयात् का हकत्याग विलेख अपनी बहन पारस से अपने पक्ष में करवा लिया गया। तथा वर्तमान में उपरोक्त कृषि आराजीयात् प्रतिवादी संख्या एक दो तीन के नाम पर अंकित चली आ रही है जो कि गलत रूपेण अंकित चली आ रही है जिसके लिए वादीगण उक्त वादपत्र की पैरा सं. 5 पांच में वर्णित कृषि आराजीयात् के संबंध में अपने नाम की घोषणा कराने के अधिकारी होने से वादीगण द्वारा यह घोषणा का वाद न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण ने बदनीयति पूर्वक धन के वशीभूत वादीगण के साथ छल कपट कर इस प्रकार का कृत्य कर वादीगण का नाम गलत रूपेण राजस्व रेकार्ड से हटाया गया है जिस कारण वादीगण वादपत्र की पैरा सं. 5पांच: में वर्णित कृषि आराजीयात् में अपने नाम की घोषणा कराकर उक्त आराजीयात् का जो विभाजन पूर्व में जरिये नामान्तरकर

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1680 दिनांक 14/03/2014 के जरिये हुआ है उसी अनुरूप वादीगण विभाजन की प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री अपने नाम प्रचलित फरमाये जाने के कानूनन अधिकारी होने से यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। खातेदार गणेश पिता बद्रीलाल द्वारा भी वादपत्र की कलम सं. 5पांच में वर्णित कृषि आराजीयात् का प्रतिवादी सं. 1 एक के साथ वादीगण को विक्रय कर दिया गया था तथा गणेश पिता बद्रीलाल लाऔलाद फौत हो गया था तथा उसकी विक्रय की प्रतिफल राशि सारी प्रतिवादी सं. 1 एक के द्वारा प्राप्त की गई थी जिस कारण प्रतिवादी सं. 1 एक व गणेश का सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से कानूनन दर्ज होना चाहिये था जो नही होने से वादीगण द्वारा सह घोषणा का वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण को उक्त बात की जानकारी नही थी तथा अभी जैसे ही राजस्व रेकार्ड की ऋण प्राप्त करने हेतु नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई तथा वादीगण को जानकारी हुई कि वादपत्र की पैरा सं. 5पांच में वर्णित कृषि आराजीयात् में वादीगण का नाम ही अंकित नही है तथा उपरोक्त कृषि आराजीयात् प्रतिवादीगण संख्या 1 एक से लगायत 3 तीन के नाम पर अंकित है। उन्होंने उक्त भूमि वादीगण के नाम पर पुनः कराने हेतु टालमटुल जवाबदेही की गई तथा आज से 15 दिवस पूर्व उनके द्वारा भूमि वादीगण के नाम पर अंकित कराने से मना कर दिया। तब वादीगण को विवश होकर सम्पूर्ण नकले निकलवाई गई तथा जानकारी होते ही तुरन्त वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद हेतुक आज से 15 दिवस पूर्व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। तथा वादीगण कि ओर से जैसे ही उक्त जानकारी हुई तुरन्त उक्त वाद वादीगण कि ओर से आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। वाद पत्र कि पैरा सं. 5 में वर्णित कृषि आराजीयात का वादीगण अपने नाम की हिस्से कि घोषणा कराने के कानूनन वाद पत्र कि पेरा सं. 5 में वर्णित कृषि आराजीयात मुझ प्रार्थी व श्रीमति हर्षिनी कुल्हरी पत्नि अतुल कुमार जी जाति जाट के नाम पर रजिस्ट्रड विक्रय पत्र के आधार पर हिस्सा घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन फरमाया जावे तथा वादग्रस्त भुमी का विभाजन पूर्व में जरीये नामान्तरकरण सं. 1680 दिनांक 14/03/2014 के हुआ है। उस अनुरूप में विभाजन कि प्रारम्भीक व अन्तीम डिक्री वादीगण के पक्ष में प्रचलित फरमाई जावे। वादपत्र के साथ मौजा कोटडी की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 352 की पेश की जो प्रदर्श-1 है। प्रतिवादी सं. 01 माधु के पक्ष में उसकी बहन पारस ने हकत्याग विलेख निष्पादित कर अपना हिस्सा माधुलाल को दिया उसकी नामान्तरकरण प्रतिलिपि प्रदर्श-2 है। मुझ प्रार्थी व अर्पित माथुर व अक्षत माथुर ने वादी संख्या 02 श्रीमती हर्षिणी कुल्हरी को आराजी संख्या 1966, 1967 तथा 1967/2, 1967/3, 1966 व 1966/1 में से मेरे हिस्से में से 1/2 भाग व अर्पित व अक्षत का 1/4.1/4 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय किया जिसकी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-3 है। जिस पर ग स्थान पर मुझ प्रार्थी का फोटो है ल स्थान पर अर्पित का स्थान पर अक्षत का व द स्थान पर हर्षिणी कुल्हरी के फोटोग्राफ हैं। रजिस्ट्री के प्रत्येक पृष्ठ पर से इ भाग पर मेरे ब से क भाग पर अक्षत के म से ि भाग पर अर्पित के व ह से ी भाग पर हर्षिणी कुल्हरी के हस्ताक्षर अंकित हैं। ध से श्र स्थान पर गवाह संजय कुमार व ज्ञ से स्थान पर गवाह अतुल कुमार के हस्ताक्षर व फोटोग्राफ है। हमारे द्वारा आराजी संख्या 1966 1967 1968 भूमि पूर्व विक्रेता माधु व गणेश से क्रय की व जिसका जमाबन्दी में अमलदरामद हुआ उस जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श-4 है। तथा जरिये नामान्तरण संख्या 1680 संवत 2070-73 में उक्त भूमि का विभाजन हमने करवाया उसका पृष्ठांकन प्रदर्श-4 के । से ठ भाग में वर्णित कर रखा है। विभाजन पश्चात् हमने उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाया उसका इन्द्राज उक्त प्रदर्श-4 के ढ से क भाग में वर्णित कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 01 की बहन पारस द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय रेलमगरा में नामान्तरण संख्या 627 की अपील प्रस्तुत की वह अपील प्रदर्श-5 है। तथा अपील पश्चात् उक्त भूमि पारस के नाम पर अंकित हुई जिसके नामान्तरण की नकल प्रदर्श-6 है। हमारे द्वारा क्रय की गई भूमि के विक्रय पत्र प्रदर्श-7 है। संपरिवर्तन आदेश की प्रति प्रदर्श-8 है। प्रतिवादीगण के पिता बद्रीलाल के मृत्यु के उपरान्त खोले गये नामान्तरण संख्या की प्रमाणित नकल प्रदर्श-9 है। पारस द्वारा हकत्याग विलेख प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में करवाया गया उसकी प्रति प्रदर्श-10 है। प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। प्रतिवादी साक्ष्य बंद किये जाते है। अधिवक्ता पक्षकारान् ने बहस हेतू निवेदन किया गया। जिस पर अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सूनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों, साक्ष्य वादी एवं इकबाली जवाब प्रतिवादी एवं अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस आदि का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि –

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

Scanned with OKEN Scanner

—: आदेश :—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोटडी तहसील रेलमगरा के आराजी संख्या 1967, 1967/2, 1967/3, 1966 व 1966/1 कुल किता 5 कुल रकबा 01.13 बिघा में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कमांक – 201703485100687 दिनांक 18.09.2017 के अनुसार कय हिस्से की श्रीमती हर्षिनी कुल्हरी पत्नी श्री अतुलकुमार जी जाति जाट निवासी वैशाली नगर, जयपुर को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा विकयेता श्री राजेश कुमार पिता लालचंद जाति जाट निवासी पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुझनु को खातेदार घोषित किया जाता है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2014 व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कमांक – 201703485100687 दिनांक 18.09.2017 का जांच करते हुए कयेता एवं विकेता के हिस्सोनुसार का नामान्तरण पारित करे। जिसमें नामातंरण संख्या 1680 दिनांक 14.03.2014 के विभाजन अनुसार खातेदारो के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावें। तदनानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद् हो। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(बिन्दु बाला राजावत, RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

Scanned with OKEN Scanner